बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र0 10–ख0वि0अधि0–16/2021 884 खाद्य, पटना/दिनांक– 02-03-2022

प्रेषक,

विनय कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय – धान अधिप्राप्ति की श्रृंखला में फोर्टिफाईड चावल तैयार करने के उद्देश्य से दिनांक–25.03.2022 के प्रभाव से मात्र ब्लेंडिंग यूनिट वाले उसना/अरवा चावल मिलों को मिलिंग हेतु धान उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग – बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना के पत्रांक–419, दिनांक– 15.01.2022 तथा 1527, दिनांक–22.02.2022।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र सरकार के नीतिगत निर्णय के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 से सीवान तथा गोपालगंज जिलों को छोड़कर राज्य के शेष 36 जिलों में लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाईड उसना/अरवा चावल के वितरण करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में निगम के प्रासंगिक पत्रों के द्वारा यह निदेश दिया गया था कि सभी सम्बद्ध उसना/अरवा चावल मिल मार्च 2022 तक अनिवार्यतः फोर्टिफाईड चावल तैयार करने हेतु ब्लेंडिंग यूनिट का अधिष्ठापन सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया था कि ब्लेंडिंग यूनिट के बिना चावल मिलों को धान अधिप्राप्ति के लिए मिलिंग का कार्य अप्रैल, 2022 से आवंटित नहीं किया जाएगा। दिनांक–04.02.2022 को इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिलरों को स्पष्ट निदेश दिए गए थे। पुनः निगम के पत्रांक–1527, दिनांक–22.02.2022 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ब्लेंडिंग इकाई की स्थापना तथा मिलिंग के बाद ब्लेंडिंग के लिए चावल मिलों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मिलिंग शुल्क के अतिरिक्त ब्लेंडिंग शुल्क का भुगतान किया जाएगा, जिसमें ब्लेंडिंग इकाई के अधिष्ठापन आदि हेतु पर्याप्त भरपाई शामिल है।

उक्त के आलोक में निदेश है कि सीवान तथा गोपालगंज जिलों को छोड़कर दिनांक–25.03.2022 के बाद बिना ब्लेंडिंग यूनिट वाले सम्बद्ध उसना/अरवा चावल मिलों को धान की मिलिंग के लिए धान की आपूर्ति नहीं की जाए। इस निदेश का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा सभी सहकारी संगठनों को तदनुसार ब्लेंडिंग यूनिट वाले उसना/अरवा चावल मिलों के साथ ही दिनांक–25.03.2022 को पुनः सम्बद्ध किया जाए। सीवान तथा गोपालगंज जिलों के लिए मिलिंग का कार्य पूर्व की तरह चलता रहेगा।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र0 10–ख0वि0अधि0–16/2021 884 खाद्य, पटना/दिनांक–02.03.2022

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र0 10–ख0वि0अधि0–16/2021 884 खाद्य, पटना/दिनांक–02.03.2022

प्रतिलिपि :– सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।